



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215647
CG-DL-E-23012020-215647

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]
No. 284]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22 जनवरी, 2020

का.आ. 295(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांकों 6क, 7 और 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“7. छत्तीसगढ़

सीजी

8. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव

डीडी”।

2. यह अधिसूचना 26 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.आरटी-11028/05/2014-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 4262(अ), तारीख 25 नवंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2020

S.O. 295(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.O.444(E), dated the 12th June, 1989, namely:—

1. In the said notification, in the TABLE for serial numbers 6A, 7 and 8 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

“7. Chhattisgarh	CG
8. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	DD”.

2. This notification shall come into force from 26th January, 2020.

[F. No. RT-11028/05/2014-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section (3), Sub-section (ii) vide S.O.444 (E), dated the 12th June, 1989 and was last amended *vide* S.O. 4262(E), dated the 25th November, 2019.